न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 307/17 (RCMS No. 2017/00327 (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. मूलचन्द
2. पुरूषोत्तम
3. कुन्दन
4. रामहेत उर्फ रमेश

पुत्र स्व0 श्री नारायण जाति नाई निवासी पांचोलास तहसील व जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र श्री नारायण जाति नाई निवासी ग्राम फलोदी तहसील व जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी म0नं0 127 मन पब्लिक स्कूल की गली खेडे गणेशजी रोड, गणेश नगर कोटा
2. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर दिनांक 28.03.2013

उपस्थितिः—

1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील अपीलान्ट

नि र्ण य दिनांकः—27.03.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 7 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 28.03.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रैस्पो0 प्रहलाद ने धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया था कि आराजी ख0 नं0 589, 590, 591 कुल किता 3 रकवा 7 बीघा 3 विस्वा वॉके ग्राम पांचोलास के हाल ख0 नं0 1702, 1708, 1701, 1684, 1685 एवं 1700 कुल रकवा 1.81 हैक्टे. पर प्रार्थी/रैस्पो0 काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। नामा0 सं0 13 से उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री की पालना में पूर्व खातेदार प्रहलाद मोती पिता रामकुंवार जाति मीना के स्थान पर प्रार्थी के हक में नामा0 भरा गया था जो दिनांक 20.11.90 को सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा तस्दीक किया गया था। वर्तमान सैटिलमेन्ट की प्रविष्टियां

विगत सैटिलमेन्ट सं0 2004 के आधार पर दर्ज की गई है परन्तु राजस्व रिकार्ड में इस नामा0 का इन्द्राज न होकर पुनः पूर्व के ही खातेदार का इन्द्राज कर दिया गया है। अतः प्रार्थी/रैस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नामा0 सं0 13 का इन्द्राज पूर्व की जमाबन्दी से सं. 2044–47 में दर्ज किये इन्द्राज के मुताविक ही वर्तमान में बने ख. नं. में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे। तहसीलदार ने जबाब पेश किया कि भू प्रबन्ध विभाग से प्राप्त रिकार्ड में भू प्रबन्ध विभाग के नामा0 सं0 13 का अमल नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि नामा0 सं0 13 का अमल नवीन जमाबन्दी में नही किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, तहसीलदार सवाई माधोपुर को निर्देश दिये कि नवीन जमाबन्दी सं0 2060 से 2063 खतौनी सं0 338 में अंकित आराजी वॉके ग्राम पांचोलास में नामा0 सं0 13 का अमल करते हुऐ हाल ख0 नं0 पर प्रहलाद पुत्र श्रीनारायण जाति नाई की खातेदारी में दर्ज किया जावे। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

रैस्पो0 कई पेशियों से अनुपस्थित चल रहे हैं। रैस्पो0 को दिनांक 20.03.18 को बहस के समय भी बार बार आवाजें दिलाई गयी। रैस्पो0 की ओर से कोई उपस्थित नही आया। अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया है। अपीलान्ट को तथा अन्य खातेदारान को सुने बिना ही एकतरफा में निर्णय पारित कर दिया है, जो विधिसम्मत् नही है। विवादित आराजी किता 3 रकवा 7 बीघा 3 विस्वा पर अपीलान्ट का भौतिक कब्जा होने से दिनांक 29.03.57 को न्यायालय उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलान्ट के पिता के पक्ष में डिक्री जारी करते हुऐ खातेदार घोषित किया गया था। अपीलान्ट के पिता की सन् 1975 में मृत्यु हो गयी थी लेकिन राजस्व रिकार्ड में विरासत का अमल नही हुआ। रैस्पो0 सं0 1 अपीलान्ट का खास भाई है। वह कभी ग्राम पांचोलास में भी नही रहा। विगत 50 वर्ष से अपने पिता के जीवन काल के समय से ग्राम फलोदी तहसील सवाई माधोपुर में रह रहा था। पिता की मृत्यु के बाद साबिक ख0 नं0 596/1 रकवा 2 बीघा का विरासत के आधार पर नामा0 सं0 203 अपीलान्टगण व रैस्पो0 सं0 1 के नाम तस्दीक किया गया। रैस्पो0 ने राजस्व कर्मचारी सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी व सरपंच ग्राम पंचायत पांचोलास के साठगांठ करके फर्जी नामा0 सं0 13 दिनांक 20.11.90 को तस्दीक किया था। जिसकी अपीलान्ट ने जिला कलक्टर के न्यायालय में अपील कर रखी है। रैस्पो0 ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारान को भी पक्षकार नही बनाया और न ही अपीलान्ट को पक्षकार बनाया है। विवादित आराजी पर रैस्पो0 का भौतिक कब्जा नही है। अपीलान्ट का भौतिक कब्जा अपने पिता के जीवन काल के समय से चला आ रहा है। रैस्पो0 का ख0 नं0 1684 व 1685 पर कब्जा था जिसको रैस्पो0 ने प्रहलाद व मोती मीना को साझे बॉटे पर दे रखी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट का कथन है कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट का भौतिक कब्जा होने से दिनांक 29.03.57 को न्यायालय उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलान्ट के पिता के पक्ष में डिक्री जारी करते हुऐ खातेदार घोषित किया गया था। अपीलान्ट के पिता की सन् 1975 में मृत्यु हो गयी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

थी। विरासत के आधार पर नामा0 सं0 203 अपीलान्टगण व रैस्पो0 सं0 1 के नाम तस्दीक किया गया। लेकिन राजस्व रिकार्ड में विरासत का अमल नही हुआ है। हम अपीलान्ट के तर्क से सहमत हैं। अपीलान्ट के पिता श्रीनारायण की विरासत का नामा0 सं0 203 वर्ष 1977 में ही सरपंच द्वारा तस्दीक किया गया था। जैसाकि अपील के साथ संलग्न नामा0 सं0 203 की फोटोप्रति से जाहिर है। अधीनस्थ न्यायालय को सभी पक्षकारों को सुनकर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस को पक्षकार नही बनाया गया है। जबकि अपीलान्ट श्रीनारायण पुत्र मांगीलाल नाई का पुत्रगण हैं तथा रैस्पो0 अपीलान्ट का भाई है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार व्यथित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् नही है। प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.03.2013 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्टस को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत् निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official